सर, मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला, अमृत भारत और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कालका, अंबाला और पंचकूला जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए और नल से पानी पहुंचाने में प्रोजेक्ट्स को गति दी जाए। दूसरा, water testing laboratories के लिए अमृत 2.0 के तहत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुओं, तालाबों, बावरियों और झीलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार की जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स की monitoring हो सके और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों के द्वारा नियमित तरीके से उनके ऊपर monitoring की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा (mapping of ground water resources) बनाया जाए, जिससे water aquifers को rejuvenate करने में सहयोग होगा। पांचवां, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा की circular economy बनाने में सहायता की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kartikeya Sharma: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Concern over problems faced by women in availing the benefits of 'PM Silai Machine Yojana' - Shri Mahendra Bhatt.

Problems being faced by women in availing the benefits of 'PM Silai Machine Yojana

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए हर राज्य में 50 हजार से अधिक जरूरतमंद महिलाओं के लिए, जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना चलाई जा रही है। अनेक राज्य हैं, जहां पर महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है।

महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। आज इसका प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार कल्याण बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़ें तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Smt. Sangeeta Yadav, (Uttar Pradesh), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

'Need to Strengthen Fiscal Equity for Balanced National Growth — Shri Tiruchi Siva; not present. Need to establish a branch of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in Nanded District of Maharashtra State - Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

Need to establish a branch of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in Nanded District of Maharashtra

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग के नांदेड़ जिले में किसानों की प्रगति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agriculture Research) की शाखा स्थापित करने की आवश्यकता है। मराठवाड़ा, जो महाराष्ट्र का एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कई गंभीर कृषि समस्याओं का सामना कर रहा है। यहां जल की कमी, असमान वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे हैं। इन समस्याओं के कारण फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है और वे विफल हो रही हैं, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में अक्सर सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, जो स्थानिक आय स्तर पर गंभीर प्रभाव डालती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि कृषि फसलों की विविधता की कमी के चलते उनकी आय में स्थिरता नहीं रहती है। इस प्रकार सूखे की स्थिति न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी चुनौती देती है।

माननीय उपसभापति महोदय, मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) को सूखा प्रतिरोधी फसलों, प्रभावी वर्षा जल प्रबंधन और जलवायु प्रतिरोधी कृषि तकनीकों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सरल बनाना भी आवश्यक है।